रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06112024-258469
CG-MH-E-06112024-258469

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2024/कार्तिक 13, 1946
No. 626]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2024/KARTIKA 13, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 4 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 684(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में लेखा काडर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (लेखा काडर), समूह 'क' और 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना – ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में निर्दिष्ट हैं।

5. प्रारंभिक गठन- ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले सहायक लेखाकार, सहायक लेखा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, उप लेखा नियंत्रक, संयुक्त लेखा नियंत्रक (वित्त और लेखा) / बजट और योजना अधिकारी तथा आंतरिक वित्त सलाहकार का पद धारण कर रहे हैं इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा संबंधित श्रेणियों में की गई उनकी नियमित और निरंतर सेवा को परीवीक्षा, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा।

6. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक लेखाकार।	187* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपए)।	अचयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परीवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(9)	(10)
एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा : (i) अस्सी प्रतिशत पद विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर; (ii) बीस प्रतिशत पद ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
(1) विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति:- (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में ज्येष्ठ लिपिक या आशुलिपिक श्रेणी-। या वैयक्तिक सहायक; (ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक या आशुलिपिक श्रेणी 'घ' जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। (2) ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा प्रोन्नति : (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपए) में ऐसे ज्येष्ठ लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; जिसके न हो सकने पर (ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय के लिए : 1. संयुक्त नियंत्रक (वित्त और लेखा) परमाणु ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष; 2. उप लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 3. अवर सचिव (प्रशासन), परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य। परमाणु ऊर्जा विभाग की संघटक इकाई के लिए : 1. निदेशक (कार्मिक या प्रशासन) या इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. संबंधित इकाई के प्रशासनिक अधिकारी-।।। या उप स्थापना अधिकारी - सदस्य; 3. अन्य इकाई के प्रशासनिक अधिकारी-।।। - सदस्य;	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1.- प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2.-** आशुलिपिक काडर के अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। **टिप्पण 3.-** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता फीडर काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी। **टिप्पण 4.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को परीवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। **टिप्पण 5 -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	4. संबंधित इकाई के यथास्थिति उप लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है; परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय के लिए : 1. परमाणु ऊर्जा विभाग में केंद्रीकृत काडर के उप सचिव या निदेशक – अध्यक्ष; 2. केंद्रीकृत काडर के अवर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; 3. उप लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य। परमाणु ऊर्जा विभाग की संघटक इकाई के लिए : 1. निदेशक (कार्मिक या प्रशासन) या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. संबंधित इकाई के प्रशासनिक अधिकारी -।।। या उप स्थापना अधिकारी - सदस्य; 3. संबंधित इकाई के यथास्थिति उप लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सहायक लेखा अधिकारी।	120* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100 रुपए)।	अचयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा : (i) अस्सी प्रतिशत पद विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर; (ii) बीस प्रतिशत पद ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर

(11)	(12)	(13)
(1) विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में ऐसे सहायक लेखाकार जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। (2) ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता द्वारा प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में ऐसे सहायक लेखाकार जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 -** विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियो से लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना अपेक्षित है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना अपेक्षित है। **टिप्पण 2.-** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 3.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को परीवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 4.-** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता, फीडर काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी। **टिप्पण 5 -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव केंद्रीकृत काडर के प्रभारी – अध्यक्ष; 2. मुख्य लेखा नियंत्रक परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 3. विभाग की किसी संघटक इकाई के संयुक्त नियंत्रक (वित्त और लेखा) परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 4. परमाणु ऊर्जा विभाग में उप सचिव या निदेशक - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित ; 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव केन्द्रीकृत काडर के प्रभारी – अध्यक्ष; 2. परमाणु ऊर्जा विभाग में केन्द्रीकृत काडर के उप सचिव या निदेशक - सदस्य; 3. विभाग की किसी संघटक इकाई के संयुक्त नियंत्रक (वित्त और लेखा) – सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी।	30* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100-177500 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में ऐसे सहायक लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 -** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2 -** चयन अभ्यर्थियों के सेवा रिकॉर्ड और वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने और सम्यक रूप से गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पश्चात गुणागुण के आधार पर किया जाएगा। **टिप्पण 3.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को परीवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। **टिप्पण 4 -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. अपर सचिव / संयुक्त सचिव केंद्रीकृत लेखा काडर के प्रभारी परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष; 2. मुख्य लेखा नियंत्रक परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 3. नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – सदस्य; 4. किसी इकाई के आंतरिक वित्तीय सलाहकार – सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है; 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव केन्द्रीकृत काडर के प्रभारी – अध्यक्ष; 2. परमाणु ऊर्जा विभाग में केन्द्रीकृत काडर के उप सचिव या निदेशक - सदस्य; 3. विभाग की किसी संघटक इकाई के संयुक्त नियंत्रक (वित्त और लेखा) -	लागू नहीं होता।

न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है; अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	सदस्य;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. उप लेखा नियंत्रक।	31*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपए) में ऐसे ज्येष्ठ लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 -** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2 -** पात्र अधिकारियों को लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार में उपस्थित होना अपेक्षित है। पैनल में सम्मिलित करने के लिए नामों की सिफारिश करते समय विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। **टिप्पण 3.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को नियुक्ति के पश्चात प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 4 -** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता, फीडर काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव केंद्रीकृत लेखा काडर के प्रभारी परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष; 2. मुख्य लेखा नियंत्रक, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 3. नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – सदस्य 4. भारी पानी बोर्ड या क्रय एवं भंडार निदेशालय अथवा नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड अथवा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के आंतरिक वित्तीय सलाहकार चक्रानुक्रम से – सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 5 - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा : अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा समूह 'क' या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों – के ऐसे अधिकारी – (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए है, और (ख) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर – 10 (56100-177500 रुपए) में लेखा काडर में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नही होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. संयुक्त नियंत्रक (वित्त और लेखा) / बजट और योजना अधिकारी।	11*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में ऐसे उप लेखा नियंत्रक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 -** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2 -** प्रोन्नति के माध्यम से चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सम्मिलित होगा। **टिप्पण 3.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को नियुक्ति के पश्चात प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 4.-** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता**,** फीडर काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी। **टिप्पण 5 -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अह्र्क/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा : अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा समूह 'क' या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी – (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए है; और (ख) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर – 11 (67700-208700 रुपए) में लेखा काडर में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष; 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – सदस्य; 3. अपर सचिव / संयुक्त सचिव केंद्रीकृत लेखा काडर के प्रभारी परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; 4. मुख्य लेखा नियंत्रक परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 5. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विभाग के बाहर से नामित व्यक्ति - सदस्य।	लागू नहीं होता।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नही हों।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. आंतरिक वित्तीय सलाहकार।	6*(2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 16.66 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। (ii) 83.34 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) ऐसे संयुक्त नियंत्रक (वित्त और लेखा) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1 -** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2 -** प्रोन्नति के माध्यम से चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सम्मिलित होगा। **टिप्पण 3.-** प्रोन्नत व्यक्तियों को नियुक्ति के पश्चात	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष; 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – सदस्या; 3. अपर सचिव / संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; 4. संबंधित इकाई के प्रमुख - सदस्य;	लागू नहीं होता।

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 4.-** विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता, फीडर काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी। **टिप्पण 5-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा : अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सरकार के अधीन केंद्रीय सेवा समूह 'क' के ऐसे अधिकारी - (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए है और (ख) वेतन मेट्रिक्स के स्तर – 12 (78800-209200 रुपए) में लेखा काडर में पांच वर्ष के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नही हो।	5. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विभाग के बाहर से संबंधित विषय के नामित व्यक्ति - सदस्य।	

[फा. सं.19/7/2021-सीसीएस/15698]

ए.आर.सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th November, 2024

G.S.R. 684(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Accounts Cadre in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Accounts Cadre), Group 'A' and 'B' posts, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Initial Constitution. – The incumbents holding the posts of Assistant Accountant, Assistant Accounts Officer, Senior Accounts Officer, Deputy Controller of Accounts, Joint Controller (Finance and Accounts) / Budget and Planning Officer and Internal Financial Advisor, immediately before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service in their respective grades shall be counted for the purposes of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

6. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

7. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of posts.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Accountant.	187* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Non-Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled in by various methods.**
(9)	(10)
One year.	By promotion: (i) eighty per cent. posts on the basis of departmental qualifying examinations; (ii) twenty per cent. posts on the basis of Seniority-cum-fitness.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
(1) Promotion through departmental qualifying examination:- (a) Senior Clerk or Stenographer Grade I or Personal Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400); (b) Upper Division Clerk or Stenographer Grade ‘D’ in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with three years of regular service in the grade. (2) Promotion through seniority-cum-fitness: (a) Senior Clerk in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with two years regular service in the grade; failing which (b) Upper Division Clerk in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with eight years of regular service in the grade; **Note 1:-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** Candidates from Stenographer Cadre shall possess minimum educational qualification of Bachelors Degree from a recognised University. **Note 3.-** The inter-se-seniority, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 4.-** Promotees shall undergo training from the Administrative Training Institute, Department of	Group ‘B’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: For Department of Atomic Energy Secretariat: 1. Joint Controller (Finance and Accounts), Department of Atomic Energy –Chairperson; 2. Deputy Controller of Accounts, Department of Atomic Energy–Member; 3. Under Secretary (Administration), Department of Atomic Energy– Member. For constituent units of Department of Atomic Energy: 1. Director (P&A) or Chief Administrative Officer of the Unit - Chairperson; 2. Administrative Officer-III or Dy. Establishment Officer of the unit concerned- Member; 3. Administrative Officer-III of another unit - Member; 4. Deputy Controller of Accounts or	Not applicable.

Atomic Energy during the period of probation. **Note 5:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Senior Accounts officer as the case may be of the unit concerned- Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: For Department of Atomic Energy Secretariat: 1. Deputy Secretary or Director in charge of Centralised Cadre in Department of Atomic Energy – Chairperson; 2. Under Secretary of Centralised Cadre, Department of Atomic Energy – Member; 3. Deputy Controller of Accounts, Department of Atomic Energy – Member. For Constituent Units of Department of Atomic Energy: 1. Director (Personnel & Administration) or Chief Administrative Officer-Chairperson; 2. Administrative Officer – III/ Deputy Establishment Officer of Unit concerned – Member 3. Deputy Controller of Accounts/ Senior Accounts Officer as the case may be of the unit concerned - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Assistant Accounts Officer.	120* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Non-Selection.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year.	By promotion: (i) Eighty per cent. posts on the basis of departmental qualifying examination. (ii) Twenty per cent. posts on the basis of seniority-cum-fitness.

(11)	(12)	(13)
(1) Promotion through departmental qualifying examination: Assistant Accountant in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with three years of regular service in the grade. (2) Promotion through seniority-cum-fitness: Assistant Accountant in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with eight years of regular service in the grade. **Note 1.-** Eligible candidates for promotion through departmental qualifying examination are required to appear for written examination. Those candidates who qualify in written examination are required to appear for interview. **Note 2.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 3.-** Promotees shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the period of probation. **Note 4.-** The inter se seniority, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 5.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary in-Charge of the Centralized Cadre- Chairperson; 2. Chief Controller of Accounts, Department of Atomic Energy- Member; 3. Joint Controller (Finance and Accounts) of any Constituent Unit of the Department - Member; 4. Deputy Secretary or Director in the Department of Atomic Energy- Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary in-Charge of the Centralized Cadre- Chairperson; 2. Deputy Secretary or Director of the Centralized Cadre in the Department of Atomic Energy- Member; 3. Joint Controller (Finance and Accounts) of any Constituent Unit of the Department - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3) Senior Accounts Officer.	30*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Selection.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	One year.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
By Promotion: Assistant Accounts Officer in Level 8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) with five years of regular service in the grade. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** Selection shall be made on merit after assessing the suitability of the candidates based on their service record and Annual Performance Appraisal Report and after interviewing the eligible candidates by a duly constituted Departmental Promotion Committee. **Note 3.-** Promotees shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the period of probation. **Note 4.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary- In-Charge of Centralized Accounts Cadre, Department of Atomic Energy - Chairperson; 2. Chief Controller of Accounts, Department of Atomic Energy – Member; 3. Controller, Bhabha Atomic Research Centre – Member; 4. Internal Financial Adviser of any Unit - Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary in-Charge of the Centralized Cadre- Chairperson; 2. Deputy Secretary or Director of the Centralized Cadre in the Department of Atomic Energy- Member; 3. Joint Controller (Finance and Accounts) of any Constituent Unit of the Department - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Deputy Controller of Accounts.	31*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
By Promotion: Senior Accounts Officer in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with two years of regular service in the grade. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** Eligible officers are required to appear for written examination followed by interview. The marks obtained in the written examination will be taken into consideration by the Departmental Promotion Committee while recommending the names for empanelment. **Note 3.-** Promotees shall undergo Training arranged by Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy after appointment. **Note 4.-** The inter se seniority, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 5.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By Deputation: Officers from All-India Services or Central services Group 'A' or Central Government or State Government or Union territories– (a) holding analogous post on a regular basis in the Parent Cadre or Department, and (b) Possessing Bachelor's Degree from a recognised University with two years of regular service in Accounts Cadre in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500). **Note 1.-** The Department Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Secretary or Joint Secretary-in-Charge of Centralized Accounts Cadre, Department of Atomic Energy - Chairperson. 2. Chief Controller of Accounts, Department of Atomic Energy - Member. 3. Controller, Bhabha Atomic Research Centre - Member. 4. Internal Financial Adviser, Heavy Water Board or Directorate of Purchase and Stores or Nuclear Recycle Board or Bhabha Atomic Research Centre in rotation - Member.	Not applicable.

Note 3.– The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Joint Controller (Finance and Accounts) / Budget and Planning Officer.	11*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted. Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
By Promotion: Deputy Controller of Accounts in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years regular service in the grade. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** Selection through promotion shall involve interview of the candidates **Note 3.-** Promotees shall undergo training arranged by Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy after appointment. **Note-4.-** The inter se seniority, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 5.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Secretary, Department of Atomic Energy – Chairperson; 2. Director, Bhabha Atomic Research Centre – Member; 3. Additional Secretary or Joint Secretary- In-charge of Centralised Administration Cadre, Department of Atomic Energy – Member; 4. Chief Controller of Accounts, Department of Atomic Energy – Member; 5. A nominee of Secretary from outside the Department - Member.	Not applicable.

qualifying or eligibility service. By Deputation: Officers from All-India Services or Central services Group 'A' or Central Government or State Government or Union territories– (a) holding analogous post on a regular basis in the Parent Cadre or Department; and (b) Possessing Bachelor's Degree from a recognised University with five years of regular service in Accounts Cadre in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700). **Note 1.-** The Department Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3.–** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Internal Financial Adviser.	6*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Selection.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 16.66 per cent. by promotion. (ii) 83.34 per cent. by deputation.

(11)	(12)	(13)
By Promotion: Joint Controller (Finance and Accounts) in level-12 (Rs.78800-209200) in the pay matrix with five years of	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	Not applicable.

regular service in the grade. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** Selection through promotion shall involve interview of the candidates. **Note 3.-** Promotees shall undergo training arranged by Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy after appointment. **Note-4.-** The inter se seniority, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 5.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By Deputation: Officers from All-India Services or Central services Group 'A' under the Central Government– (a) holding analogous post on a regular basis in the Parent Cadre or Department and (b) Possessing Bachelor's Degree from a recognised University with five years of experience in Accounts and Finance in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200). **Note 1.-** The Department Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3.–** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.	consisting of: 1. Secretary, Department of Atomic Energy – Chairperson; 2. Director, Bhabha Atomic Research Centre- Member; or 3. Additional Secretary or Joint Secretary, Department of Atomic Energy- Member; 4. Head of the concerned Unit- Member; 5. A nominee of Secretary in the relevant discipline from outside the department- Member.	

[F. No. 19/7/2022-CCS/15698]
A. R. SULE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.11.06 11:45:33 +05'30'